कार्यालय अधिष्ठाता

छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
E-mail – deanmedicalcollegechhindwara@gmail.com

क्रमांक / स्था0 / विज्ञप्त / 2023 / 11028 छिंदवाड़ा दिनांक 30/12/2023

विज्ञापन

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय का परिपत्र क्रमांक एफ 4–60 / 2017 / 55–2, भोपाल दिनांक 06–05–2017 / 12–05–2017 के द्वारा नवीन चिकित्सा महाविद्यालय छिन्दवाड़ा के लिए पद सृजित किये गये है, निर्धारित चयन प्रक्रिया के आधार पर सीनियर रेसीडेंट एवं जूनियर रेसीडेंट के निम्नांकित रिक्त पदो पर सीमित समय अवधि (Tenure) 3 वर्ष के लिए वॉक–इन इंटरव्यहू हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, इच्छुक आवेदक साक्षात्कार हेतु छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस छिन्दवाड़ा (म.प्र.) में सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय अवधि में अपने समस्त अभिलेखों / प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा अभिप्रमाणित छायाप्रतियों सहित अधिष्ठाता कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

सीनियर रेसीडेंट							
क्रमांक	विषय	कुल विज्ञपित पद संख्या	आरक्षण रोस्टर				
			UR	EWS	OBC	ST	SC
1	जनरल मेडिसिन	3	2	-	1	-	-
2	टी0बी0 एण्ड चेस्ट डिसीज	1	1	-	-	-	-
3	निश्चेतना विभाग	2	-	-	1	1	-
4	स्त्रीरोग एवं प्रसूतिशास्त्र विभाग	2	1	-	-	1	-
5	सर्जरी विभाग	2	1	-	-	1	-
6	शिशुरोग विभाग	1	-	-	1	-	-
7	रेडियोडायग्नोसिस	1	-	-	1	-	-
8	रेडियोथेरेपी	1	1	-	-	-	-
9	फिजिकल मेडिसन एण्ड रिहेबलिटेशन	1	1	-	-	-	-
10	मनोरोग विभाग	1	-	-	1	-	-
	कुल योग	15	07	-	05	03	-

जूनियर रेसीडेंट							
क्रमांक	विषय	कुल विज्ञपित पद संख्या	आरक्षण रोस्टर				
			UR	EWS	OBC	ST	SC
1	जनरल मेडिसिन	3	2	-	-	1	-
2	शिशुरोग विभाग	2	1	-	-	1	-
3	जनरल सर्जरी	5	2	-	1	1	1

Scanned with OKEN Scanner

4	अस्थिरोग विभाग	2	2	-	-	-	-
5	कान नाक एवं गला	2	1	-	1	-	-
6	स्त्री एवं प्रसूतिरोग विभाग	3	1	-	1	1	-
8	निश्चेतना विभाग	1	-	-	-	1	-
9	स्कीन एंड वी0डी विभाग	2	1	-	1	-	-
10	फिजिकल मेडिसन एण्ड रिहेबलिटेशन	1	1	-	-	-	-
11	नेत्ररोग विभाग	1	1	-	-	-	-
12	मनोरोग विभाग	1	1	-	-	-	-
	कुल योग	23	13	-	4	5	1

साक्षात्कार हेतु आवश्यक अभिलेखो/प्रमाणपत्रो की मूल प्रति तथा अभिप्रमाणित छायाप्रतियो के साथ उम्मीद्वार को उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इस हेतू पृथक से कोई सूचना नही दी जावेगी।

नोटः–

1. आरक्षण शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रहेगा।
2. पदों की रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धियां हो सकती है।
3. अगर आरक्षित वर्ग के चिकित्सक नहीं मिलते है तो इस स्थिति में सीटे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित श्रेणी के क्रम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जा सकेगी।
4. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से अभ्यार्थी साक्षात्कार का पात्र नहीं हो जाएगा।
5. रिक्त पद उपलब्ध होने तक वाक–इन–इंटरव्यूह जारी रहेगा। अतः आवेदन के पूर्व पद की उपलब्धता का पता कार्यालय की स्थापना शाखा से ज्ञात किया जा सकेगा।
6. उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण–पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

शर्तेः–

1. अवधिः– सीनियर रेसीडेंट की सेवा अवधि (Tenure) तीन वर्ष की होगी। प्रथमतः 01 वर्ष हेतु नियुक्ति की जावेगी। तत्पश्चात् सेवायें संतोषजनक पाये जाने पर 01 वर्ष बढ़ाते हुए अधिकतम तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।
2. नियुक्ति का तरीकाः– योग्य अभ्यार्थियों का चयन एम.बी.बी.एस./एम.डी./एम.एस. /एम.डी.एस. सभी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के अंको एवं साक्षात्कार उपरांत किया जावेगा। नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तिकर्ता अधिकारियों द्वारा की जावेगी।
3. आवेदन शुल्कः– सीनियर/जूनियर रेसीडेंट के पद हेतु अनारक्षित/आरक्षित संवर्ग के अभ्यार्थिओं को अपने आवेदन के साथ रूपये 1000/– (शब्दों मे रूपये एक हजार मात्र/–) स्वशासी अधिष्ठाता, छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा के नाम देय हो प्रस्तुत करना होगा। बैक ड्राफ्ट के पीछे अभ्यार्थी को अपना पूरा नाम /पता व विषय तथा नबंर यादि कोई लिखना आवश्यक होगा। किसी भी अवस्था में राशि लौटायी नहीं जावेगी। अतः उपरोक्त

Scanned with OKEN Scanner

राशि अधिष्ठाता, छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा के खाते में आनलाईन के माध्यम से जमा करायी जा सकती है। राशि जमा कर रसीद मूलतः आवेदन के साथ संलग्न करे।

Account Details	
A/c Holder	Dean Chhindwara Institute of Medical Sciences, Chhindwara
Bank Name	State Bank of India Circular Road Dist. Chhindwara Madhya Pradesh
A/c No	37739004173
IFSC	SBIN0000348

नियम एवं निर्देशः– म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग म0प्र0 भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ2–42/07/1/पचपन, भोपाल दिनांक 17/12/2021 द्वारा जारी सीनियर रेसीडेंट एवं जूनियर रेसीडेंट की चयन प्रक्रिया एवं पात्रता निम्नानुसार रहेगी।

1. <u>जूनियर रेसीडेंट</u>

<u>पात्रताः</u>

(i) जूनियर रेसीडेंट के पद हेतु आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर इन्टर्नशिप पूर्ण करने वाले चिकित्सक पात्र होगे।

<u>अपात्रताः</u>

i. एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. पाठ्यक्रम की अध्यनरत् अवधि में अधिष्ठाता/प्राचार्य, चिकित्सा, दंतचिकित्सा महाविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन कर चिकित्सकीय कार्य न किया जाना अथवा महाविद्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।

ii. विधि द्वारा स्थापित नियमों के विरूद्ध किसी अवधि के लिये चिकित्सकीय कार्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।

iii. पाठ्यक्रम अवधि में छात्र/छात्रा के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण संस्थित होना।

iv. पाठ्यक्रम अवधि में पदीय कर्तव्यों में लापरवाही, अशिष्टता, अशोभनीय व्यवहार अथवा अनुशासनहीनता पाये जाने पर ।

v. बिन्दू (i) से (v) दर्शित कारणों से चिकित्सकीय कार्य से अनुपस्थित रहने स्थिति ऐसे छात्र/छात्राएं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित किसी भी संस्था में सेवा के लिए पात्र नहीं माने जायेगे।

<u>चयन विधिः–</u>

i. अधिष्ठाता की अध्यक्षता चिकित्सकों चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से चिकित्सकों का चयन किया जायेगा।

ii. योग्य अभ्यार्थियों का उनके एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. पाठ्यक्रम करने लगे Attempts सभी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परीक्षाओं सकल प्रतिशत साक्षात्कार आधार पर नियत होगा।

iii. चयन हेतु प्रथमतः स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके पश्चात् शेष पदों के लिये प्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों पर विचार

Scanned with OKEN Scanner

किया तत्पश्चात् निजी चिकित्सा महाविद्यालय अन्य महाविद्यालयों के उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा।

iv. चयनित उम्मीदवारों की सूची साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जायेगी। द्वारा मध्य सेवायें छोड़ने पर शेष अवधि के लिए प्रतीक्षारत का चयन किया जायेगा। यह प्रतीक्षा सूची 01 वर्ष के लिए वैद्य होगी।

v. चयनित जूनियर रेसीडेंट को निजी प्रेक्टिस की पात्रता नहीं होगी।

<u>टेन्युअर (Tenure):</u>

i. टेन्युअर की अवधि 03 वर्ष होगी।

ii. 01 वर्ष की टेन्योर अवधि पूर्ण होने पर विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित का कार्य संतोषपद होने संबंधी की गयी अनुशंसा के आधार आगामी वर्ष के लिये बढ़ाया जायेगा। अन्यथा जूनियर रेसीडेंसी 01 वर्ष की टेन्युअर अवधि समाप्त जावेगा।

iii. विभागाध्यक्ष द्वारा चिकित्सक का कार्य संतोषजनक रिपोर्ट देने अथवा अनाधिकृत रूप से अवकाश पर रहने पर उसकी सेवायें तत्काल समाप्त करने का अधिकार अधिष्ठाता को होगा।

<u>आरक्षणः–</u>

i. राज्य शासन द्वारा अद्यतन निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।

ii. आरक्षित वर्ग रिक्तियों विरूद्ध चिकित्सक उपलब्ध होने अनूसूचित जनजाति, अनूसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य श्रेणी के क्रम में उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जा सकेगी।

<u>अवकाशः</u>

जूनियर रेसीडेंट को प्रति सप्ताह 01 दिवस की अवकाश पात्रता रहेगी। तथा प्रतिवर्ष 12 दिवस आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी, साप्ताहिक अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा। अवकाश के समस्त प्रकरणों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम रहेगा।

<u>शिष्यावृत्तिः–</u> मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित तत्समय प्रचलित जूनियर रेसीडेन्ट हेतु शिष्यावृत्ति देय होगी

2. <u>सीनियर रेसीडेंट</u>

<u>पात्रताः</u>

i. सीनियर रेसीडेंट के पद हेतु आवेदन जमा करने की तिथि के पांच (05) वर्ष के अंदर एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी./डिप्लोमा/एम.डी.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले चिकित्सक पात्र होगे।

ii. चिकित्सक की उम्र 45 वर्ष से कम होनी चाहिए।

iii. एन.एम.सी. द्वारा समय–समय पर पर जारी अर्हताएं स्वतः लागू होगी।

<u>अपात्रताः</u>

Scanned with OKEN Scanner

i. एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस. पाठ्यक्रम की अध्यनरत् अवधि में अधिष्ठाता/प्राचार्य, चिकित्सा, दंत चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन कर चिकित्सकीय कार्य नहीं किये जाने अथवा महाविद्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।

ii. विधि द्वारा स्थपित नियमों के विरूद्ध किसी अवधि के लिये चिकित्सकीय कार्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।

iii. पाठ्यक्रम अवधि में छात्र/छात्रा के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण संस्थित होना।

iv. पाठ्यक्रम अवधि में पदीय कर्तव्यों में लापरवाही, अशिष्टता, अशोभनीय व्यवहार अथवा अनुशासनहीनता पाये जाने पर ।

v. बिन्दू (i) से (iv) में दर्शित कारणों से चिकित्सकीय कार्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में ऐसे छात्र/छात्राएं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित किसी भी संस्था में सेवा के लिए पात्र नहीं माने जायेगे।

<u>चयन विधिः</u>

i. अधिष्ठाता की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से चिकित्सकों का चयन किया जायेगा।

ii. चयन हेतु प्रथमतः स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जावेगी। इसके पश्चात् शेष रिक्त पदों के लिये प्रदेश के अन्य स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों पर विचार किया जायेगा। तत्पश्चात् निजी चिकित्सा महाविद्यालय/अन्य प्रदेश के शासकीय/निजी चिकित्सा महाविद्यालय के उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा।

iii. चिकित्सक द्वारा जिस विषय में एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी./डिप्लोमा/एम.डी.एस. किया है उसी विषय के लिए पात्रता होगी।

iv. चयन का क्रमशः डिग्रीधारी, डी.एन.बी., डिप्लोमा होगा।

v. विभिन्न विषयों में उत्तीर्ण एम.डी.एस. उम्मीदवारों का चयन पी.जी. (एम.डी.एस.) परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की गयी मैरिट के अनुसार होगा।

vi. चयनित सीनियर रेसीडेंट को निजी प्रेक्टिस की पात्रता नहीं होगी।

<u>टेन्युअर (Tenure) :</u>

i. टेन्युअर की अवधि 03 वर्ष होगी।

ii. 01 वर्ष की टेन्युअर अवधि पूर्ण होने पर विभागाध्यक्ष द्ववारा संबंधित का कार्य संतोषप्रद होने संबंधी की गई अनुशंसा के आधार पर आगामी वर्ष के लिए बढाया जायेगा। अन्यथा सीनियर रेसींडेसी 01 वर्ष टेन्युअर अवधि पश्चात् स्वतः समाप्त जावेगा।

iii. विभाग मे पदस्थ सीनियर रेसीडेट के संबंध में संबंधित विभागाध्याक्ष की प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होने पर अधिष्ठाता को संबंधित विभागाध्यक्ष, संबंद्ध चिकित्सालय के अधीक्षक तथा 02 वरिष्ठतम प्राध्यापक की गठित समिति के परामर्श से, ऐसे सीनियर रेसीडेंट की नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के अधिकार प्रदत्त

Scanned with OKEN Scanner

होगा इस प्रकार से पृथक किये गये चिकित्सक को इस पद हेतु पुनः आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।

iv. विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित चिकित्सक के अनाधिकृत रूप से अवकाश पर रहने अथवा कार्य संतोषप्रद न होने संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर उसकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के अधिकार अधिष्ठाता को प्रदत्त होगे।

आरक्षणः

i. राज्य शासन द्वारा अद्यतन निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी

ii. निर्धारित आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी की रिक्त सीटों के विरूद्व प्रथमतः संबधित श्रेणी के प्रदर्शकों/ट्यूटरों/चिकित्सा अधिकारियों का चयन किया जायेगा तदोपरांत सीनियर रेंसीडेंसी हेतु अन्य चिकित्सकों का चयन होंगा।

iii. आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरूद्व चिकित्सक उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य श्रेणी के कम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जा सकेगी।

अवकाशः

सीनियर रेसीडेंट को प्रति सप्ताह 01 दिवस के अवकाश के पात्रता होगी तथा प्रतिवर्ष 12 दिवस के आकस्कि अवकाश की पात्रता होगी, साप्ताहिक अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा, अवकाश के समस्त प्रकरणों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा। सीनियर रेसीडेंट के पद पर रहते हुये मूल पद से जुडें किसी अन्य प्रकार के अवकाश की पात्रता नही होगी।

शिष्यावृत्तिः— मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित तत्समय प्रचलित जूनियर रेसीडेन्ट हेतु शिष्यावृत्ति देय होगी

प्रदर्शकों/ट्यूटरों/चिकित्सा का सीनियर रेसीडेंट में चयनः

i. सीनियर रेंसीडेंट के पद हेतु आवेदन जमा करने की तिथि के पांच (05) वर्ष के अन्दर एम. डी./एम.एस./डीन.एन.बी/डिप्लोमा/एम.डी.एस./पाठ्यकम उत्तीर्ण करने वाले चिकित्सक पात्र होगे।

ii. एन.एम.सी. द्वारा समय—समय पर जारी अर्हतायें स्वतः लागू होगी।

iii. जिस प्रदर्शक/ट्यूटर/चिकित्सा अधिकारी ने जिस विषय में एम.डी./एम.एस./एम.डी. एस. किया है उसकी सिर्फ उसी विषय के लिए सीनियर रेसीडेंसी की पात्रता रहेगी।

चयन विधिः

i. ऐसे प्रदर्शकों/ट्यूटरों/चिकित्सा अधिकारियों ने एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस. पाठ्यकम उत्तीर्ण किया है उन्हें सीनियर रेसीडेंट के पद के लिये सर्वप्रथम प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

ii. साक्षात्कार के समय जिन प्रदर्शकों/ट्यूटरों/चिकित्सा अधिकारियों ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय छिन्दवाड़ा से एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस. किया उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी उसके बाद म.प्र. के किसी भी अन्य शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जावेगी, तदोपरांत रिक्तियां रहने पर निजी चिकित्सा महाविद्यालय के उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

सीट का आरक्षण:

i. राज्य शासन द्वारा अद्यतन निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।

ii. निर्धारित आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी की रिक्त सीटों के विरूद्व प्रथमतः संबंधित श्रेणी के प्रदर्शकों/ट्यूटरों/चिकित्सा अधिकारियों का चयन किया जायेगा।

iii. मध्यप्रदेश के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।

वेतन भत्ते:

i. प्रदर्शक/ट्यूटर/चिकित्सा अधिकारी को अपने पद से संबधित वेतन भत्तों की पात्रता होगी।

टीप:

i. जिन प्रदर्शको/ट्यूटर/चिकित्सा अधिकारियों को सीनियर रेसीडेंट के पद पर पदस्थ किया गया है, ऐसे प्रदर्शक/ट्यूटर/चिकित्सा अधिकारी का अपने मूल पद के विरूद्व धारणाधिकार स्थापित रहेगा, जिस कारण चिकित्सा महाविद्यालय उक्त पद के विरूद्व किसी अन्य चिकित्सक को नियुक्त नहीं करेगा।

यात्रा भत्ता

:– साक्षात्कार के लिये बिना किसी भी अभ्यार्थी को यात्रा भत्ता इस संस्था द्वारा नहीं दिया जायेगा उन्हें स्वयं के व्यय पर यात्रा करना होगा।

अन्य शर्ते :–

i. इन चिकित्सकों को प्रत्येक 01 वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी तथा सप्ताह में एक दिन अवकाश की पात्रता होगी यह अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा, इन पर रेसीडेन्ट्स से संबंधित सभी बातों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा

ii. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

iii. सेवा की अन्य शर्ते नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी

iv. यदि कोई आवेदक किसी संस्था में पूर्व से कार्यरत है तो उसे आवेदन के समय ही नियोक्ता का अनापत्ति/त्याग पत्र स्वीकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

v. उम्मीदवार को म.प्र. राज्य मेडिकल कौंसिल भोपाल अथवा मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

vi. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिष्ठाता द्वारा सीनियर रेसीडेंट की विभागों में संख्या कार्य आवश्यकता अनुसार समय–समय पर परिवर्तित किया जा सकेगा।

साक्षात्कार के समय उपरोंक्त समस्त प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी।

संभागायुक्त, जबलपुर संभाग, द्वारा अनुमोदित।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिष्ठाता
छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस,
छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner

पृ0क्र./स्था/विज्ञप्त/2023/11029-33 छिंदवाड़ा दिनांक- 30/12/2023

प्रतिलिपि :-**सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।**

1. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा म0प्र0 भोपाल।
2. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर की ओर।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा भोपाल म0प्र0।
4. स्थानीय लेखा शाखा छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की ओर।
5. संस्था की बेबसाइट/सूचना पटल।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिष्ठाता
छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस,
छिन्दवाड़ा (म0प्र0)

Scanned with OKEN Scanner